

SCMS
2020/00049
08/02/2021

अज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम

श्री. स्तलीम रवां

हलका भूका वडातसिह

पुत्र श्री श्याम रवां जाति कोरवाण

निवासी भूका वडातसिह

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 46 वर्ष 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुकम और तारीख तामिल की
23-12-2020	पटवारी हलका <u>भूका वडातसिह</u> ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् <u>2020</u> में मौजा <u>भूका वडातसिह</u> के खसरा नंबर <u>27/3</u> रकबा <u>1200 वर्ग फीट</u> किस्म भूमि <u>गोखुर</u> पर नाजायज अतिक्रमण कर काश्त व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलव किया जावें। पत्रावली दिनांक <u>11-01-2021</u> को वमुकाम सिणधरी में पेश हों।	
11-01-2021	तहसीलदार सिणधरी जिला-वाड़मेर पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपास्थित। पीगलीन अधिकारी राजकीय कार्य हेतु जायपुर पधारे है। पत्रावली दिनांक 18-1-2021 को पेश हो। 11-01-2021	समीक्षा
18/01/2021	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपास्थित। गैर सायल ने जवाब हेतु समय चक्षा को दिया जाकर पत्रावली 27-01-2021 को पेश हो।	समीक्षा

तहसीलदार सिणधरी
जिला-वाड़मेर

27-01-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सामल की तरफ से उनके वकील ने उपस्थित होकर जवाब देते समय ग्राहक को दिशादर्शक पत्रावली दिनांक 10-02-2021 को पेश है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

10-2-2021

पत्रावली पेश हुई। पीवालीन अधिकारी भाण खिना उमुटी पर पद्ये है पत्रावली दिनांक 17-2-2021 को पेश है।

10-2-2021

17-2-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सामल अनुपस्थित। गैर सामल को जवाब देते मासिक अवसर दिशादर्शक पत्रावली दिनांक 22-2-2021 को पेश है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

22-02-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सामल अनुपस्थित। गैर सामल को जवाब देते वार-2 अवसर दिये जाने के उपरान्त भी कोई विधि समत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। गैर सामल को अतिरिक्त मानते हुए पत्रावली केसल सुमार है। निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली केसल सुमार होकर दाखिल इन्तजर है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर